संख्या-57/2023/414/22-2-2022-17(105)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह, जाफरपुर कोट, थाना-चांदपुर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दिनांक 04.10.2004 को वादी की पत्नी सुशीला देवी के दूर का रिश्तेदार अभियुक्त ओम प्रकाश उसके घर आया और उसकी पत्नी से लड़के की शादी कराने के बहाने लड़की दिखाने वादी की पुत्री दीपा को साथ ले जाकर जंगल में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 दीपा नामक लड़की के साथ चारों ने बारी-बारी से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को परीक्षण संख्या-313/2005 में भा0द0वि0 की धारा-376(जी), 506 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सर न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, बिजनौर के आदेश दिनांक 23.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनाक 03.08.2021 तक 16 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार राजा तथा 21 वर्ष 09 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध गम्भीर श्रेणी में होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.10.2004 को वादी की पुत्री दीपा को बहाने से ले जाकर जंगल में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बारी-बारी से बलात्कार करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध गम्भीर श्रेणी में होने, बन्दी के पुनः अपराध में अशक्त नही होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी की आयु व पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने आदि समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-42357) पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-57/2023/414(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-57/2023/414/22-2-2022-17(105)/2022

दिनांक 23 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह, जाफरपुर कोट, थाना-चांदपुर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दिनांक 04.10.2004 को वादी की पत्नी सुशीला देवी के दूर का रिश्तेदार अभियुक्त ओम प्रकाश उसके घर आया और उसकी पत्नी से लड़के की शादी कराने के बहाने लड़की दिखाने वादी की पुत्री दीपा को साथ ले जाकर जंगल में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 दीपा नामक लड़की के साथ चारों ने बारी-बारी से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को परीक्षण संख्या-313/2005 में भा0द0वि0 की धारा-376(जी), 506 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सर न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, बिजनौर के आदेश दिनांक 23.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनाक 03.08.2021 तक 16 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार राजा तथा 21 वर्ष 09 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध गम्भीर श्रेणी में होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.10.2004 को वादी की पुत्री दीपा को बहाने से ले जाकर जंगल में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बारी-बारी से बलात्कार करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध गम्भीर श्रेणी में होने, बन्दी के पुनः अपराध में अशक्त नही होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी की आयु व पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने आदि समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।